29/7/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम कुरबड़ा व पटवार मण्डल आगवाडी स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 129 की खातेदारी में वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नाहरा दर्ज है जो गलत है जबकि वादी का सही नाम राजेन्द्र लाम्बा पुत्र नारायण लाम्बा है। वादी के सभी सरकारी दस्तावेजात में वादी का सही राजेन्द्र लाम्बा पुत्र नारायण लाम्बा दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नाहरा गलत दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत कुरबड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नारायण, पहचान पत्र नारायण, राशन कार्ड व स्वयं का आधार कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की। वादी ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र व गवाहान के रूप में ज्ञानचन्द पुत्र परताराम जाति जाट निवासी ढाणी नवोडी कुरबड़ा के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नाहरा अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावेजी नाम राजेन्द्र लाम्बा पुत्र नारायण लाम्बा है की पुष्टि ग्राम पंचायत कुरवड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नारायण, पहचान पत्र नारायण, राशन कार्ड व स्वयं का आधार कार्ड से होती है। वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

FORM No. II
फर्द
(नि

अज अदालत ....

....

किस्म मुकदमा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	उपरोक्त विवे डिक्री किया जाता के खाता संख्या 1 में दर्ज खातेदार स्थान पर राजेन्द्र कर राजस्व रिकॉ दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व पर्चा डिक्री मुर्तीब निर्णय पत्रावली बाद होकर दफ़्तर द